



# उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

संख्या:-335 / 19 / डी0आर0(स0नि0) / सेवा-2 / 2021-22

दिनांक: 11 सितम्बर, 2024

## सफाई निरीक्षक परीक्षा-2023 अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत सफाई निरीक्षक परीक्षा-2023 के लिए विज्ञप्ति संख्या-259 दिनांक 09 अगस्त, 2024 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन में किये गए दावों के समर्थन में उपलब्ध कराये गए प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा के उपरान्त कतिपय अभ्यर्थियों को अनर्ह किया गया था। उक्त अनर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों से आपत्ति व्यक्त किये जाने के संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन दिनांक 16 अगस्त, 2024 तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करने का समय प्रदान किया गया था। तदपश्चात सम्यक् विचारोपरांत मा0 आयोग द्वारा निम्न तालिका के अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों को निस्तारित करते हुये उन्हें अंतिम रूप अनर्ह किया गया है:-

SN	Roll No	Name	अनर्हता का कारण	निस्तारण आदेश
1	2	3	4	5
1	900096	DIMPLE	<p>1. विज्ञापन की शर्तानुसार प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बी0एस0सी तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईजीन/सेनीटेशन/सैनेटरी इंस्पेक्टर/हैल्थ सैनेटरी इंस्पेक्टर में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा है।</p> <p>2. अभ्यर्थी की बी0एस0सी0 अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की अंकतालिका में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि 13.09.2023 अंकित है, जो कि विज्ञापन के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की अंतिम तिथि 28.08.2023 के पश्चात् की है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता- बी0एस0सी0 निर्धारित तिथि तक धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया।</p>	<p>1. अनर्हता सूची दिनांक 09.08.2024 के सापेक्ष दिनांक 16.08.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>2. उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थी की अनर्हता के संबंध में मा0 आयोग द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुये प्रश्नगत पद के लिए अंतिम रूप से अनर्ह किया जाता है।</p>
2	900168	AYOUSH DHASMANA	<p>1. विज्ञापन की शर्तानुसार प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बी0एस0सी तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईजीन/सेनीटेशन/सैनेटरी इंस्पेक्टर/हैल्थ सैनेटरी इंस्पेक्टर में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा है।</p> <p>2. अभ्यर्थी की बी0एस0सी0 अंतिम वर्ष की अंकतालिका में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि 11.09.2023 अंकित है, जो कि विज्ञापन के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की अंतिम तिथि 28.08.2023 के पश्चात् की है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता- बी0एस0सी0 निर्धारित तिथि तक धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया।</p>	<p>1. अनर्हता सूची दिनांक 09.08.2024 के सापेक्ष दिनांक 16.08.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>2. उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थी की अनर्हता के संबंध में मा0 आयोग द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुये प्रश्नगत पद के लिए अंतिम रूप से</p>

SN	Roll No	Name	अनर्हता का कारण	निस्तारण आदेश
1	2	3	4	5
				अनर्ह किया जाता है।
3	900183	UTTAM SINGH PARIHAR	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा मध्यप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की गयी है।</p> <p>2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अन्य बिन्दुओं में उल्लिखित कोई शर्तों का दावा नहीं किया गया है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया।</p>	<p>1. अनर्हता सूची दिनांक 09.08.2024 के सापेक्ष दिनांक 16.08.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>2. उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थी की अनर्हता के संबंध में मा0 आयोग द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुये प्रश्नगत पद के लिए अंतिम रूप से अनर्ह किया जाता है।</p>
4	900280	SHUBHAM KUMAR	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष केवल हाईस्कूल परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण की गयी है, जबकि इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तरप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की गयी है।</p> <p><b>सूच्य है कि समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अनुसार हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उत्तराखण्ड राज्य उत्तीर्ण होना आवश्यक है।</b></p> <p>2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अन्य बिन्दुओं में उल्लिखित कोई शर्तों का दावा नहीं किया गया है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया।</p>	<p>1. अनर्हता सूची दिनांक 09.08.2024 के सापेक्ष दिनांक 16.08.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>2. उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थी की अनर्हता के संबंध में मा0 आयोग द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुये प्रश्नगत पद के लिए अंतिम रूप से अनर्ह किया जाता है।</p>
5	900288	RAJAT KUMAR	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा उत्तरप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की गयी है।</p> <p>2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अन्य बिन्दुओं में उल्लिखित कोई शर्तों का दावा नहीं किया गया है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की</p>	<p>1. अनर्हता सूची दिनांक 09.08.2024 के सापेक्ष दिनांक 16.08.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>2. उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थी की अनर्हता के संबंध में मा0 आयोग द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुये प्रश्नगत पद</p>

SN	Roll No	Name	अनर्हता का कारण	निस्तारण आदेश
1	2	3	4	5
			अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।	के लिए अंतिम रूप से अनर्ह किया जाता है।
6	900378	SHUBHAM PAL	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा उत्तरप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की गयी है।</p> <p>2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अन्य बिन्दुओं में उल्लिखित कोई शर्तों का दावा नहीं किया गया है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया।</p>	<p>1. अनर्हता सूची दिनांक 09.08.2024 के सापेक्ष दिनांक 16.08.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>2. उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थी की अनर्हता के संबंध में मा0 आयोग द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुये प्रश्नगत पद के लिए अंतिम रूप से अनर्ह किया जाता है।</p>
7	900384	ASHU CHAUDHARY	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा उत्तरप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की है।</p> <p>2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन में बिन्दु संख्या-5(2) के दावे के सापेक्ष नगर निगम, देहरादून के वार्ड सं0-76 के पार्षद से जारी आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन में बिन्दु संख्या-5(2) के दावे के सापेक्ष स्थायी निवास प्रमाण-पत्र पत्र वांछित है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अनिवार्य वांछनीय अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया।</p>	<p>1. अनर्हता सूची दिनांक 09.08.2024 के सापेक्ष दिनांक 16.08.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>2. उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थी की अनर्हता के संबंध में मा0 आयोग द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुये प्रश्नगत पद के लिए अंतिम रूप से अनर्ह किया जाता है।</p>
8	900397	ASHUTOSH SANDILYA	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण होने का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा उत्तरप्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की गयी है।</p> <p>2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में अन्य बिन्दुओं में उल्लिखित कोई शर्तों का दावा नहीं किया गया है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार समूह 'ग' की</p>	<p>1. अनर्हता सूची दिनांक 09.08.2024 के सापेक्ष दिनांक 16.08.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>2. उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थी की अनर्हता के संबंध में मा0 आयोग द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुये प्रश्नगत पद</p>

SN	Roll No	Name	अनर्हता का कारण	निस्तारण आदेश
1	2	3	4	5
			अन्य अनिवार्य वांछनीय अर्हता धारित न करने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।	के लिए अंतिम रूप से अनर्ह किया जाता है।
9	900443	AMIT JOSHI	<p>1. विज्ञापन की शर्तानुसार प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बी0एस0सी तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाईजीन/सेनीटेशन/सैनेटरी इंस्पेक्टर/हैल्थ सैनेटरी इंस्पेक्टर में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा है।</p> <p>2. अभ्यर्थी द्वारा बी0एस0सी0 के स्थान पर बी0-फार्मा की उपाधि धारित की गयी है, जो कि विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अनुरूप नहीं है।</p> <p>अतः विज्ञापन की शर्तानुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बी0एस0सी0 धारित न किये जाने के कारण अभ्यर्थी को अनर्ह किया गया है।</p>	<p>1. अनर्हता सूची दिनांक 09.08.2024 के सापेक्ष दिनांक 16.08.2024 तक कोई प्रत्यावेदन/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है।</p> <p>2. उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थी की अनर्हता के संबंध में मा0 आयोग द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुये प्रश्नगत पद के लिए अंतिम रूप से अनर्ह किया जाता है।</p>

2. उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत परीक्षा के लिए अभिलेख सत्यापन में उपस्थित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे के सापेक्ष अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये को मा0 आयोग द्वारा प्रश्नगत परीक्षा के लिए अंतिम रूप अनर्ह किया गया है:-

क्र. सं.	रोल न0	अभ्यर्थी का नाम	निस्तारण आदेश
1	2	3	4
1	900187	MOHD VASEEM	<p>1. अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता- (निर्धारित अंतिम तिथि: 28 अगस्त 2023 तक ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0एस0सी0 उपाधि धारित नहीं करते है।</p> <p>2. उक्त के क्रम में मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक अर्हता बी0एस0सी0 उपाधि धारित न किये जाने के कारण अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
2	900163	ANKIT SINGH	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत Health Sanitary Inspector में एक वर्षीय डिप्लोमा का दावा किया गया है, किन्तु अभिलेख सत्यापन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कराया गया है, तदपश्चात उक्त के संबंध में अभ्यर्थी से अभिवाचन पत्र में दिनांक 28.08.2024 तक समय प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में अभ्यर्थी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।</p> <p>2. अतः मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनिवार्य शैक्षिक अर्हता Health Sanitary Inspector में एक वर्षीय डिप्लोमा धारित न किये जाने के कारण अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।</p>
3	900226	JASPAL SINGH CHAUHAN	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत Health Sanitary Inspector में एक वर्षीय डिप्लोमा का दावा किया गया है किन्तु अभिलेख सत्यापन के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कराया गया है, तदपश्चात उक्त के संबंध में अभ्यर्थी से अभिवाचन पत्र में दिनांक 29.08.2024 तक समय प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में अभ्यर्थी द्वारा उक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।</p> <p>2. अतः मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अनिवार्य शैक्षिक अर्हता</p>

			Health Sanitary Inspector में एक वर्षीय डिप्लोमा धारित न किये जाने के कारण अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।
--	--	--	--

3. इसके अलावा प्रश्नगत परीक्षा के लिए अभिलेख सत्यापन कराये जाने के अनुरोध के साथ कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं। सम्यक् विचारोपरांत मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों में किये गये अनुरोध अस्वीकार करते हुये निम्नवत निस्तारित कर दिया गया है:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	रोल न0	प्रत्यावेदन में किया गया अनुरोध	निस्तारण आदेश
1	2	3	4	5
1.	रविन्द्र	900053	<p>अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंदिनांकित प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी सफाई निरीक्षक परीक्षा के लिए निर्धारित अभिलेख सत्यापन तिथि पर उपस्थित नहीं हो सका।</p> <p>उक्त के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।</p>	<p>1. प्रश्नगत परीक्षा के लिए विज्ञप्ति सं0-257, दिनांक 09.08.2024 द्वारा अभ्यर्थी का अभिलेख सत्यापन दिनांक 21.08.2024 को निर्धारित किया गया था, जिसमें अभ्यर्थी अनुपस्थित रहा।</p> <p>2. इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 09.08.2024 को अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम हेतु निर्गत विज्ञापित में स्पष्ट उल्लेख है कि- "निर्धारित तिथि (21 एवं 22 अगस्त, 2024) को अभिलेख सत्यापन न कराने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु पुनः अवसर नहीं दिया जायेगा"</p> <p>उक्त के आलोक में अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन कराये जाने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुये प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।</p>
2.	मीना फर्सवाण	900123	<p>1. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 13.08.2024 में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थिनी को दिनांक 09.08.2024 को निम्नानुसार उल्लेख करते हुये अनर्ह घोषित किया गया है:-</p> <p>"अभ्यर्थी मीना फर्सवाण (अनुक्रमांक-900123) के पैरा-मेडिकल टेक्नोलॉजी सोसाईटी ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से धारित 01 वर्षीय सेनेटरी इस्पेक्टर डिप्लोमा के संबंध में विषय-विशेषज्ञों के परामर्श लिया गया, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा अभ्यर्थी के संबंध में "Not affiliated to any accreditation body. परामर्श प्रदान किया गया है। डिप्लोमा के संबंध में विषय-विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी को अंतिम रूप से अनर्ह किया गया है।"</p>	<p>1. अभ्यर्थी मीना फर्सवाण (अनुक्रमांक-900123) के पैरा-मेडिकल टेक्नोलॉजी सोसाईटी ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से धारित 01 वर्षीय सेनेटरी इस्पेक्टर डिप्लोमा के संबंध में विषय-विशेषज्ञों के परामर्श लिया गया, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा अभ्यर्थी के संबंध में "Not affiliated to any accreditation body. परामर्श प्रदान किया गया है।</p> <p>2. तदक्रम में विषय-विशेषज्ञों के उपरोक्त परामर्श के आधार पर मा0 आयोग द्वारा अभ्यर्थी मीना फर्सवाण प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा धारित न किये जाने कारण अनर्ह किया गया है।</p> <p>3. उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थी के पैरा-मेडिकल टेक्नोलॉजी सोसाईटी ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से धारित 01 वर्षीय सेनेटरी इस्पेक्टर डिप्लोमा के</p>

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम	रोल न0	प्रत्यावेदन में किया गया अनुरोध	निस्तारण आदेश
1	2	3	4	5
			2. उक्त के क्रम में प्रार्थिनी द्वारा मा0 आयोग से दिनांक 21 एवं 22 अगस्त, 2024 को प्रश्नगत परीक्षा के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन कराये जाने हेतु औपबंधिक रूप से अर्ह घोषित करने का अनुरोध किया गया है।	संबंध में विषय-विशेषज्ञों के आख्या के आधार पर प्रार्थिनी द्वारा प्रत्यावेदन में औपबंधिक रूप से अभिलेख सत्यापन हेतु किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुये प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

**Sd/-**  
(गिरधारी सिंह रावत)  
सचिव।